645
30/4/26

1702
30/04/26
(10:04)

डा0 (श्रीमती) मनु कालिया,
एच0जे0एस0,
सदस्य सचिव

आजादी का अमृत महोत्सव

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P. State Legal Services Authority

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 1271 /एसएलएसए– 109/2026(कुलदीप /ऋ) दिनांक : अप्रैल 28, 2026

विषय : समाधान समारोह, 2026 के व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में।

महोदया/महोदय,

विदित है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशन में सम्पूर्ण भारतवर्ष में सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित वादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने के संबंध दिनांक 21 अप्रैल, 2026 को समाधान समारोह, 2026 का शुभारम्भ किया गया है तथा उक्त अभियान दिनांक 21, 22 तथा 23 अगस्त, 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ संपन्न होगा।

उपरोक्त अभियान के सफल आयोजन के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में Public Notice के प्रारूप को प्रेषित करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि उक्त अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार के संबंध में उन्हें राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाये ताकि उक्त अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त Public Notice को हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में संलग्न प्रेषित कर आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि जन–सामान्य के मध्य समाधान समारोह अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित हो सके।

आपसे यह भी अनुरोध है कि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा यू–ट्यूब चैनल आदि पर भी उपरोक्त Public Notice का प्रचार – प्रसार कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीया,

संलग्नक : यथोक्त।

डा0 (श्रीमती) मनु कालिया
सदस्य सचिव

- Office to collaborate with System officer to upload Public Notice on District court web portal
- Office to upload Public Notice on social media platforms of DLSA Bhadohi and circulate through other means

01/05/26

Secy DLSA
To comply
30/4/26

4/7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, 4/7, Gomti Nagar Extension, Lucknow
Phone : 0522-2286395, Fax 0522-2286265 Toll Free No. : 1800 419 0234
E-Mail : upslsa@nic.in Website : upslsa.up.nic.in

SUPREME COURT OF INDIA

SAMADHAN SAMAROH, 2026

(Special Lok Adalat at Supreme Court of India)

To advance the vision of 'participative justice' and 'doorstep delivery of justice', the Supreme Court of India is organising '*Supreme Court Action for Mediated Adjudication and Disputes Harmonization Across Nation*'-SAMADHAN SAMAROH commencing from 21st April, 2026 and culminating into holding of a Special Lok Adalat on 21st, 22nd and 23rd August, 2026.

This Special Lok Adalat aims to facilitate amicable settlement of pending matters before the Supreme Court of India through consent-based resolution mechanisms.

Invitation to Participate

All advocates, litigants and stakeholders are requested to actively participate and contribute to the effective resolution of disputes under this initiative. Parties can appear both physically or virtually on the online platform to arrive at the settlements of their disputes.

How to Apply

Parties and their counsels may submit their request by filling out the prescribed Google Form at:

Google Form Link: https://forms.gle/jqxefqF4BCWzukoP6

This Google Form is also available at https://www.sci.gov.in/

Last Date to fill the Google Form: 31st May, 2026

For all kinds of assistance/information, please contact:

One Stop Centre (War Room) In-charge for SAMADHAN SAMAROH (Special Lok Adalat) Contact No.: 011-23112428, 011-23112528

One Stop Centre (Room No. 806 & 808, B Block, Additional Building Complex, Supreme Court of India) Landline No.: 011- 23116464, 011-23116465

Contact No. of Director, C.R.P.: 011-23115652

Email: speciallokadalat2026@sci.nic.in

Issued in public interest by the Supreme Court of India

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026

न्याय को सरल एवं सुलभ तरीक से घर-घर तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से आरम्भ किया जा रहा है जिसकी परिणति 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगी ।

विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 तथा 23 अगस्त को होगा जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले शामिल किया जायेगा । विशेष लोक अदालत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य / जिला / तालुका / उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार / समिति स्थित मध्यस्थता केन्द्र में किया जायेगा । इस सुलह वार्ता का आयोजन 21 अप्रैल 2026 को समाधान समारोह के आरम्भ के साथ शुरु हो जायेगा ।

इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन करना है।

<u>सभी सम्बंधित पक्षों को आमंत्रण</u>

अधिवक्तागण, वादकारियों तथा अन्य सभी सम्बंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाता है । 21 अप्रैल 2026 से आरम्भ हो रहे समाधान समारोह में आपसी सहमति एवं वार्ता से समाधान तलाशने का प्रयास किया

जायेगा । इन सुलह-बैठकों का आयोजन राज्य / जिला / तालुका / उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार / समिति स्थित मध्यस्थता केन्द्र में किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ तथा / अथवा सचिव विधिक सेवा प्राधिकार / समिति पक्षकारों की मदद करेंगे । पक्षकार इन सुलह-प्रयास हेतु बैठकों / वार्ताओं में सशरीर अथवा आभासी रूप से शामिल हो सकते हैं ।

अपने मामले (जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है) को समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) में कैसे शामिल करें ।

इस वास्ते गूगल फॉर्म तैयार किया गया है । इस गूगल फॉर्म को भरना अत्यंत सरल है। इसे भरकर अपने मामले को समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 में शामिल किया जा सकता है । यह गूगल फॉर्म माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध है ।

गूगल फॉर्म लिंक-

https://forms.gle/pRWbif6wAPrcgMsZ8

गूगल फ़ॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 31 मई, 2026

हर प्रकार की सहायता / जानकारी के लिए सम्पर्क करें ।

समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) हेतु बनाय गये वन स्टॉप सेन्टर (वार रूम) इंचार्ज का सम्पर्क नं- 011-23115652; 011-23116464

सी.आर. पी निदेशक का सम्पर्क नं०-011-23115652, 011-23116465

वन स्टॉप सेन्टर (कक्ष संख्या 806 एवं 808, बी ब्लॉक, अतिरिक्त भवन परिसर, सर्वोच्च न्यायालय) लैण्डलाइन नं०-011-23116464

इमेल - speciallokadalat2026@sci.nic.in

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी